भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4203

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

27 फाल्गुन, 1947 (शक)

एआई सुरक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस

4203. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़ी घटनाओं, जिसमें नुकसान, विफलताएं और नैतिक चिंताएं शामिल हैं, को रिकॉर्ड करने, उनका विश्लेषण करने और निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस की आवश्यकता पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सुरक्षा, जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता के विश्वास में सुधार लाने के संदर्भ में ऐसे डेटाबेस की स्थापना करने का क्या औचित्य है;

(ग) एआई घटना सूचना तंत्र के दायरे, मानकों और शासन को डिजाइन करने के संबंध में उद्योग विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और तकनीकी निकायों के साथ किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एक राष्ट्रीय एआई घटना डेटाबेस को संचालित करने के लिए अपेक्षित प्रस्तावित संस्थागत ढांचे, डेटा सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों और क्रॉस-सेक्टर संपर्कों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार का डेटाबेस किस प्रकार भारत के एआई के उत्तरदायित्वपूर्ण विकास, प्रयोक्ता संरक्षण, नवाचार और डिजिटल समावेशन के व्यापक नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप होगा?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): <u>भारत की</u> एआई <u>नीति:</u>

भारत की एआई नीति रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

इसे प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने इसके विनियमन के प्रति एक संतुलित और व्यावहारिक तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण अपनाया है। वैश्विक नियामक ढांचे का अध्ययन करने और व्यापक हितधारक परामर्श करने के बाद भारत की एआई रणनीति को आकार दिया गया है।

भारत एआई मिशन:

मार्च 2024 में, सरकार ने 10,371.92 करोड़ रु के परिव्यय के साथ भारत एआई मिशन शुरू किया। देश में एआई इकोसिस्टम के समग्र विकास के लिए इसके 7 स्तंभ हैं जो निम्नानुसार है:

1. **इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता**: इसका उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप सहित सभी को किफ़ायती कीमत पर हाई-एंड कंप्यूट पावर (जीपीयू) प्रदान करना है। अब तक 38 हजार से अधिक जीपीयू को शामिल किया जा चुका है।
2. **इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल**: भारतीय डेटासेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित भारत के अपने बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (एलएमएम) विकसित करना। यह जनरेटिव एआई में संप्रभु क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए है। 12 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सर्वम और भारतजेन द्वारा विकसित एआई मॉडल लॉन्च किए गए थे।
3. **एआईकोश**: एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए बड़े डेटासेट विकसित करना। एआईकोश एक एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से डेटासेट को एकीकृत करता है।
4. **इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव**: इस स्तंभ का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शासन और सीखने की अक्षमता के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत की विशिष्ट चुनौतियों के लिए एआई अनुप्रयोगों को विकसित करना है। सरकार ने अब तक 30 एप्लिकेशन विकसित करने के लिए सहायता दी है।
5. **इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स**: एआई डोमेन में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की संख्या में वृद्धि करके भारत में एआई कुशल पेशेवरों को विकसित करना। यह पूरे भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित करने की भी कल्पना करता है।
6. **इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग**: एआई स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
7. **सुरक्षित और विश्वसनीय एआई**: जिम्मेदार एआई अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ शासन ढांचे के साथ नवाचार को संतुलित करना।

इंडियाएआई इम्पैक्ट समिट:

फरवरी 2026 में, भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की, जो अब तक का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन था। इसमें 22 राष्ट्राध्यक्षों, लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और लगभग 6 लाख उपस्थित लोगों सहित 100 से अधिक देशों की भागीदारी देखी गई और लाइव वर्चुअल स्ट्रीमिंग के माध्यम से 9 लाख से अधिक संचयी दृश्य अवलोकित किए गए।

शिखर सम्मेलन के दौरान 250 अरब डॉलर से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं।

मानव विजन

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट में एआई के लिए भारत के मानव दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। यह एक रोडमैप प्रस्तुत करता है जहाँ तकनीकी प्रगति सामाजिक मूल्यों नैतिक और आचारिक प्रणालियाँ, जवाबदेह शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, सुलभ और समावेशी एआई, तथा वैध और विधिसम्मत प्रणालियों के साथ सामंजस्य से आगे बढ़ती है।

एआई शिखर सम्मेलन का समापन शिखर घोषणा के साथ हुआ, जिसे 92 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया, जो विश्वसनीय, समावेशी, लोकतांत्रिक और मानव-केंद्रित एआई मानकों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

एआई पर सलाहकार समूह

भारत की जरूरतों के अनुकूल एक जिम्मेदार एआई ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एआई पर एक सलाहकार समूह का गठन किया। समूह में शिक्षा, उद्योग और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। सलाहकार समूह को एक सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिफारिशें विकसित करने का काम सौंपा गया था। मौजूदा और प्रस्तावित कानूनों और नियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद एआई गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

रिपोर्ट एआई पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित होने के साथ प्रभावी अनुपालन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित, सरकार के समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती है। एआई प्रौद्योगिकियों की तेजी से बदलती प्रकृति को देखते हुए, रिपोर्ट शासन के लिए एक तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण की सिफारिश करती है।

<u>भारत एआई शासन दिशानिर्देश</u>

इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश 5 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे। यह देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास और नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है।

दिशानिर्देश मानव-केंद्रित एआई विकास पर जोर देते हैं और एक व्यापक शासन ढांचा प्रदान करते हैं। वे गलत सूचना, डीपफेक, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और पारदर्शिता की कमी जैसे जोखिमों को पहचानते हैं। तदनुसार, ढांचा उपयुक्त तकनीकी-कानूनी सुरक्षा उपायों के माध्यम से एआई सिस्टम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और कम करने के लिए तंत्र पर जोर देता है।

दिशानिर्देश नुकसान के वास्तविक दुनिया के साक्ष्यों के आधार पर भारत-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन ढांचे का प्रस्ताव करते हैं। इससे अधिकारियों और हितधारकों को उभरते एआई जोखिमों का विश्लेषण करने और शमन उपायों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

इस तरह के तंत्र एआई सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास का भी समर्थन करेंगे। दिशानिर्देश एआई शासन के लिए एक संपूर्ण सरकारी संस्थागत ढांचे की सिफारिश करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एआई गवर्नेंस ग्रुप (एआईजीजी): मंत्रालयों और क्षेत्रीय नियामकों के बीच रणनीतिक निरीक्षण और समन्वय प्रदान करना;
- प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी): तकनीकी और नीतिगत सिफारिशों का समर्थन करना; तथा
- एआई सुरक्षा संस्थान (एआईएसआई): सुरक्षा अनुसंधान करना, मानक विकसित करना, एआई सिस्टम का परीक्षण करना और उभरते जोखिमों का मूल्यांकन करना।

प्रस्तावित शासन ढांचा आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक विकास के लिए एआई के उपयोग को सक्षम करते हुए जिम्मेदार एआई नवाचार, उपयोगकर्ता सुरक्षा, समावेशी डिजिटल विकास और सुदृढ़ सार्वजनिक विश्वास के भारत के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
